सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary**
	साधिकार प्रकाशित	***Published by Authority***
	आश्विन 27, सोमवार, शाके 1942–अक्टूबर 19, 2020 *Asvina 27, Monday, Saka 1942–October 19, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 14, 2020

जी.एस.आर.217 :- "राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना-2020" में निम्न संशोधन किये जाते हैः-

1- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भः-

(1) इन नियमों का नाम "राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना (संशोधन) नियम-2020" होगा।

(2) यह संशोधन तुरन्त प्रभाव से प्रवृत होंगे।

2- वर्तमान नियमों में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता हैः-

वर्तमान नियम-3 एवं नियम-5 में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता हैः-

क्र.सं.	वर्तमान नियम	नवीन संशोधित नियम
1.	नियम-3- "यह केवल उन पत्रकारों को दी जायेगी, जिन्हें किसी समाचार पत्र अथवा संस्था आदि से वेतन/पेंशन /नियमित सहायता राशि या राज्य सरकार से कोई अन्य नियमित सहायता प्राप्त नहीं हो रही है" का प्रावधान है।	नियम-3- यह केवल उन पत्रकारों को दी जायेगी जिन पत्रकारों को किसी समाचार पत्र अथवा संस्था आदि से वेतन/ पेंशन/ नियमित सहायता राशि या राज्य सरकार से कोई अन्य नियमित सहायता प्राप्त हो रही है तो उक्त राशि को विभाग द्वारा दी जा रही सम्मान राशि में से घटाकर शेष राशि का भुगतान किया जावेगा।
2.	नियम-5- में "अधिस्वीकृत पत्रकार जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान से कम से कम 10 वर्ष तक नियमित रूप से अधिस्वीकृत रहे हो, इस योजना हेतु पात्र	नियम-5- अधिस्वीकृत पत्रकार जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान से अलग-अलग अवधि में कुल मिलाकर कम से कम 10 वर्ष तक अधिस्वीकृत रहे हो, इस योजना हेतु पात्र

	होंगे" का प्रावधान है।	होंगे।

उक्त अधिसूचना वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 102003710 दिनांक 12.10.2020 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

[सं.एफ.6(1)गृह/सम्पर्क/सचि/प्रको/2020]

महेन्द्र सोनी,
विशिष्ट शासन सचिव
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

Government Central Press, Jaipur.